

अनुदान संख्या 57 – आवास और शहरी मामले मंत्रालय
GRANT No. 57 - MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-	103,81,00	93,53,55	-10,27,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			7,31,70
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	36533,39,00	46533,43,00	43012,90,30
पूरक	Supplementary	10000,04,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-3520,52,70
				2404,48,04
पूंजीगत:	Capital:			
प्रभारित—	Charged-	44,82,00	23,84,43	-20,97,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			20,65,26
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	21104,20,00	21104,23,00	10280,36,86
पूरक	Supplementary	3,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-10823,86,14
				10822,41,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, ₹232.00 लाख का विनियोग तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of ₹232.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹352052.70 लाख) सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1000004.00 लाख के पूरक अनुदान का 35 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 8 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹352052.70 lakhs) constituted 35 percent of the supplementary grants of ₹1000004.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and 8 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"			
सचिवालय—सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services			
मू.	O.	10992.00		
पु.	R.	-772.28		
		10219.72	9931.14	-288.58
मुख्य शीर्ष "2058"	Major Head "2058"			
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	Stationery and Printing			
मू.	O.	26086.00		
पु.	R.	-7563.70		
		18522.30	17933.39	-588.91
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"			
लोक निर्माण कार्य	Public Works			
मू.	O.	206183.00		
पु.	R.	-12792.15		
		193390.85	191781.55	-1609.30
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"			
आवास	Housing			
मू.	O.	1437354.00		
पू.	S.	535000.00		
पु.	R.	-107692.60		
		1864661.40	1759706.01	-104955.39

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष “2217” शहरी विकास	Major Head “2217” Urban Development			
मू.	O.	137986.00		
पू.	S.	1.00	62762.07	61495.14
पु.	R.	-75224.93		-1266.93
मुख्य शीर्ष “2552” राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “2552” Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	67775.00		
पू.	S.	1.00	9.01	..
पु.	R.	-67766.99		-9.01
मुख्य शीर्ष “3475” अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head “3475” Other General Economic Services			
मू.	O.	7669.00		
पू.	S.	2.00	12278.89	11992.16
पु.	R.	4607.89		-286.73
मुख्य शीर्ष “3601” राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3601” Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	1709323.00		
पू.	S.	465000.00	2209098.98	2207454.44
पु.	R.	34775.98		-1644.54

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"	
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature	
मू.	O.	49602.00
पु.	R.	-7956.26

41645.74 40725.28 -920.46

(I) ₹73376.71 लाख का प्रावधान (₹1.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹72375.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹73376.71 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.50 lakhs) remained wholly unutilized under seventeen heads; of these ₹72375.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(A) Major Head "2552" -

(क) "शहरी आवास - अन्य अनुदान - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" - ₹21958.00 लाख;

(a) "Urban Housing - Other Grants - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - ₹21958.00 lakhs;

(ख) "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)" - ₹5806.00 लाख;

(b) "Other General Economic Services - Urban Oriented Employment Programme - National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - ₹5806.00 lakhs;

(ग) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा - स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)" - ₹15000.00 लाख;

(c) "Central Assistance/Share - Swachh Bharat Mission (SBM)" - ₹15000.00 lakhs;

(घ) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केन्द्रीय पूल संसाधन - पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजना (एनईआरयूडीपी)" - ₹14773.00 लाख;

(d) "Central Pool of Resources for North East Region - North Eastern Region Urban Development Project (NERUDP) - ₹14773.00 lakhs;

(ङ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(e) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

- | | |
|---|---|
| (i) “राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)” – ₹1800.00 लाख; | (i) “National Urban Livelihoods Mission (NULM)” - ₹1800.00 lakhs; |
| (ii) “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹6749.00 लाख; और | (ii) “Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) - ₹6749.00 lakhs; and |
| (च) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹1289.00 लाख। | (f) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)” - ₹1289.00 lakhs. |

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above seven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष “3475” – “शहर केन्द्रित रोजगार कार्यक्रम – चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम – निर्माण और इंजीनियरी संबंधी सेवाएं – निर्माण कौशल विकास योजना” – ₹5000.00 लाख कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने और स्कीम की शुरुआत न होने के कारण।

(B) Major Head “3475” - “Urban Oriented Employment Programmes - Champion Services Sector Scheme-Construction and Related Engineering Services-Nirman Kaushal Vikas Yojana” - ₹5000.00 lakhs - due to less demand from implementing agencies and non-initiation of the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष “2216” – “शहरी आवास – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹668652.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹535000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1203652.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹103681.55 लाख की सीमा तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के निधियन के लिए भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद को ज्यादा अतिरिक्त बजटीय उधार (ईबीआर) देने के लिए आवास और आवश्यक छूट प्राप्त करने के लिए आवास और शहरी विकास निगम (एचयूडीसीओ) द्वारा इनकार किए जाने और कोविड-19 महामारी की वजह से एलएचपी/डीएचपी परियोजनाओं के लिए बीएमटीपीसी द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head “2216” - “Urban Housing - Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)”- the original provision of ₹668652.00 lakhs was augmented to ₹1203652.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹535000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹103681.55 lakhs - due to refusal by Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) in getting necessary relaxation for lending more Extra Budgetary Resource (EBR) to Building Material and Technology Promotion Council (BMTPC) for funding Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) and non-utilisation of funds by BMTPC for LHP/DHP projects owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष “2052” – “सचिवालय – आवास और शहरी मामले” – ₹1060.86 लाख की बचत (₹10992.00 लाख

(III) Under Major Head “2052” - “Secretariat - Housing and Urban Affairs” - saving of ₹1060.86

के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से महंगाई भत्ता के स्थिरीकरण किए जाने और स्थापना संबंधित व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2058” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “लेखन सामग्री की खरीद और आपूर्ति स्टोर – लेखन सामग्री नियंत्रक” – ₹2001.73 लाख की बचत (₹4481.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने और कोविड-19 महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(खा) “सरकारी प्रेस – मुद्रण और मुद्रण प्रेस निदेशालय” – ₹3828.87 लाख की बचत (₹17085.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने और कोविड-19 महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(गा) “सरकारी प्रकाशन – प्रकाशन नियंत्रक” – ₹2244.95 लाख की बचत (₹3990.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रकाशन संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने, कम दौरे किए जाने और कोविड-19 महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “2059” के अंतर्गत बचतें – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “कार्यालय भवन – रखरखाव और मरम्मत – कार्य प्रभारित स्थापना” – ₹3177.60 लाख की बचत (₹15700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और कोविड-19 महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹10992.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance and requirement of less funds towards establishment related expenses owing to COVID - 19 pandemic.

(IV) Under Major Head “2058” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Purchase and Supply of Stationery Stores - Controller of Stationery” - saving of ₹2001.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4481.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and restriction of expenditure by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(B) “Government Presses - Directorate of Printing and Printing Presses”- saving of ₹3828.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17085.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, freezing of dearness allowance and restriction of expenditure by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(C) “Government Publications - Controller of Publications” - saving of ₹2244.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3990.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards publication work, less tours undertaken and restriction of expenditure by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(V) Under Major Head “2059” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Office Buildings - Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment” - saving of ₹3177.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15700.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries of work charged staff and restriction of expenditure by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(खा) “अन्य भवन – रखरखाव और मरम्मत” –

(क) “कार्य प्रभारित स्थापना” – ₹1100.22 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने स्थापना संबंधी खर्चों और कोविड-19 महामारी की वजह से महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने के कारण हुई।

(ख) “अन्य रखरखाव व्यय” – ₹1018.50 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने और माध्यस्थम निर्णय संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(गा) “सामान्य – निदेशन और प्रशासन” –

(क) “निष्पादन” – ₹1480.83 लाख की बचत (₹6422.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) “केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्थापना” – ₹15252.59 लाख की बचत (₹114124.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत वेतन संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और कोविड-19 महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “2216” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “शहरी आवास” –

(क) “निदेशन और प्रशासन – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹697.41 लाख की बचत (₹980.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधित व्ययों के लिए कम निधियों की

(B) “Other Buildings - Maintenance and Repairs” -

(a) “Work Charged Establishment” - saving of ₹1100.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries of work charged staff, establishment related expenses and freezing of dearness allowance owing to COVID-19 pandemic.

(b) “Other Maintenance Expenditure” - saving of ₹1018.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to less demand from implementing agencies and requirement of less funds towards Arbitration Award.

(C) “General -Direction and Administration” -

(a) “Execution” - saving of ₹1480.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6422.00 lakhs); and

(b) “CPWD Establishment” - saving of ₹15252.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹114124.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards salaries and restriction of expenditure by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(VI) Under Major Head “2216” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Urban Housing”

(a) “Direction and Administration- Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)” - saving of ₹697.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹980.00 lakhs) was due to

आवश्यकता होने के कारण हुई।

requirement of less funds towards establishment related expenses.

(ख) “आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरण” – ₹103407.26 लाख की बचत (₹669932.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अतिरिक्त बजटीय स्रोत ऋण पर ब्याज भुगतान संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) “Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)” - saving of ₹103407.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹669932.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards interest payment on Extra Budgetary Resource (EBR) loan.

(खा) “सामान्य पूल आवास” –

(B) “General Pool Accommodation” -

(क) “रखरखाव और मरम्मत – कार्य प्रभारित स्थापना” – ₹4632.65 लाख की बचत (₹18500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और कोविड-19 महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(a) “Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment” - saving of ₹4632.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18500.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and restriction of expenditure by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(ख) “अन्य व्यय” –

(b) “Other Expenditure” -

(i) “निर्माण” – ₹903.44 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने के कारण हुई।

(i) “Construction” - saving of ₹903.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs) was due to less demand from implementing agencies.

(ii) “सम्पदा निदेशालय” – ₹818.64 लाख की बचत (₹7008.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन संबंधी कम निधियों की आवश्यकता होने, कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने और कोविड-19 महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(ii) “Directorate of Estates” - saving of ₹818.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7008.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, less demand from implementing agencies and restriction imposed by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(गा) “अन्य आवास” –

(क) “रखरखाव और मरम्मत” –

(i) “कार्य प्रभारित स्थापना” – ₹1691.25 लाख की बचत (₹6400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और कोविड-19 महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(ii) “अन्य रखरखाव व्यय” – ₹710.94 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) “अन्य व्यय – निर्माण” – ₹611.61 लाख की बचत (₹852.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने के कारण हुईं।

(VII) मुख्य शीर्ष “2217” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र – स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, शहर सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता, एन.सी.आर. योजना बोर्ड” – ₹1517.00 लाख की बचत (₹5510.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) “अन्य शहरी विकास स्कीमें” –

(क) “निर्देशन और प्रशासन – स्वच्छ भारत मिशन” – ₹15367.44 लाख की बचत (₹18497.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(C) “Other Housing” -

(a) “Maintenance and Repairs” -

(i) “Work Charged Establishment” - saving of ₹1691.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6400.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and restriction of expenditure by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(ii) “Other Maintenance Expenditure” - saving of ₹710.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs); and

(b) “Other Expenditure - Construction” - saving of ₹611.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹852.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less demand from implementing agencies.

(VII) Under Major Head “2217” - savings occurred under the following heads:-

(A) “National Capital Region - Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. - N.C.R. Planning Board” - saving of ₹1517.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5510.00 lakhs);

(B) “Other Urban Development Schemes”-

(a) “Direction and Administration - Swachh Bharat Mission” - saving of ₹15367.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18497.00 lakhs); and

(ख) “स्थानीय निकायों/निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, शहर सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता” –

(i) “100 स्मार्ट सिटी मिशन” – ₹51658.24 लाख की बचतें (₹55496.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कोविड-19 महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुईं।

(ii) “शहरी जीर्णोद्धार मिशन – 500 आवास (अमृत)” – ₹7414.76 लाख की बचत (₹11810.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने, बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से कम मांग होने और वेतन और प्रशासनिक व्यय से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(गा) “सामान्य – निदेशन और प्रशासन – शहरी परिवहन योजना और शहरी परिवहन में क्षमता निर्माण (घरेलू स्रोत)” – ₹580.94 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुईं।

(VIII) मुख्य शीर्ष “3475” – “शहर केन्द्रित रोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)” – ₹2038.86 लाख की बचत (₹2669.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम मांग होने और दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(IX) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/शेयर” के अंतर्गत – बचतें

(b) “Assistance to Local Bodies/Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc.” -

(i) “Mission for 100 Smart Cities” - savings of ₹51658.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹55496.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to restriction of expenditure by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(ii) “Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT)” - saving of ₹7414.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11810.00 lakhs) was due to restriction of expenditure by the Ministry of Finance, less demand from Union Territories without legislature and requirement of less funds towards salaries and administrative expenses.

(C) “General - Direction and Administration - Urban Transport Planning and Capacity Building in Urban Transport (Domestic Sources)” - saving of ₹580.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to restriction of expenditure by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(VIII) Under Major Head “3475” - “Urban Oriented Employment Programmes - National Urban Livelihoods Mission (NULM)” - saving of ₹2038.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2669.00 lakhs) was due to less demand from States and requirement of less funds towards establishment related expenses under the scheme of Deendayal Antyodaya Yojana - National Urban Livelihoods Mission (DAY- NULM).

(IX) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes -Central Assistance/Share” -

निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “स्वच्छ भारत मिशन” – ₹88689.30 लाख की बचत (₹185003.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) “100 स्मार्ट सिटी मिशन” – ₹269319.00 लाख की बचत (₹579702.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधानों में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) “शहरी जीर्णोद्धार मिशन-500 निवास (अमृत)” – ₹55028.86 लाख की बचत (₹694520.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने तथा राज्य सरकारों से प्रशासन तथा अन्य व्यय के तहत कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(X) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “स्वच्छ भारत अभियान” – ₹10921.50 लाख की बचत (₹11500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “शहरी जीर्णोद्धार मिशन – 500 निवास (अमृत)” – ₹22841.35 लाख की बचत (₹24000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

savings occurred under the following heads:-

(A) “Swachh Bharat Mission” - saving of ₹88689.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹185003.00 lakhs); and

(B) “Mission for 100 Smart Cities” - saving of ₹269319.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹579702.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less demand from State Governments/ Implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) “Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT)” - saving of ₹55028.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹694520.00 lakhs) was due to less demand from State Governments/ Implementing agencies, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and receipt of less claims under administration and other expenses from State Governments.

(X) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/ Share” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Swachh Bharat Mission” - saving of ₹10921.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11500.00 lakhs); and

(B) “Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT)” - saving of ₹22841.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less demand from Union Territory Governments/ Implementation agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(XI) चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें ₹1492.94 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक लेकिन ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत से 81 प्रतिशत थीं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹13235.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष “2217” - “अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य व्यय - शहरी अवसंरचना विकास परियोजनाएं” - ₹828.28 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹827.78 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष “3475” - “शहर केन्द्रित रोजगार कार्यक्रम - प्रधानमंत्री स्ट्रीट विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) - स्ट्रीट विक्रेता के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा” - ₹11379.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹11360.02 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” - “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान - पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केन्द्रीय पूल स्रोत पूर्वोत्तर राज्यों में शहरी अवसंरचना विकास योजना” - ₹1027.72 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) मुख्य शीर्ष “2059”-

(क) “सामान्य - निदेशन और प्रशासन - कम्प्यूटरीकरण योजना” - ₹1932.07 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उद्यम संसाधन योजना (ईपीआर) परियोजना के कार्यान्वित होने के कारण हुआ।

(XI) Under four heads savings of ₹1492.94 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 30 percent to 81 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (₹13235.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head “2217” - “Other Urban Development Schemes - Other Expenditure -Urban Infrastructure Development Projects” - ₹828.28 lakhs. Actual excess, however, was ₹827.78 lakhs.

(B) Major Head “3475” - “Urban Oriented Employment Programmes - Prime Minister Street Vendor Atma Nirbhar Nidhi (PM- SVANidhi)- Special Micro Credit Facility for Street Vendor” - ₹11379.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹11360.02 lakhs.

(C) Major Head “3601” - “Other Transfer/ Grants to States - Central Pool of Resources for North East Region - Urban Infrastructure Development Project in North Eastern States” - ₹1027.72 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2059”-

(a) “General - Direction and Administration- Scheme of Computerisation” - excess of ₹1932.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to implementation of Enterprise Resource Planning (EPR) project in Central Public Works Department.

(ख) “कार्यालय भवन” –

- (i) “रखरखाव और मरम्मत – अन्य रखरखाव व्यय” – ₹598.99 लाख का अधिक व्यय (₹22100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (ii) “पट्टा प्रभार – स्थानीय निकायों आदि को किराए, दर और करों का भगतान” – ₹6062.16 लाख का अधिक व्यय (₹22000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(b) “Office Buildings” -

- (i) “Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure” - excess of ₹598.99 lakhs (against the sanction provision of ₹22100.00 lakhs);
- (ii) “Lease Charges-Payment of Rents, Rates and Taxes to Local bodies etc.” - excess of ₹6062.16 lakhs (against the sanction provision of ₹22000.00 lakhs);

(खा) मुख्य शीर्ष “2216” – “सामान्य पूल आवास” –

- (क) “रखरखाव और मरम्मत – अन्य रखरखाव व्यय” – ₹1641.66 लाख का अधिक व्यय (₹37121.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

- (ख) “अन्य व्यय – भवन – पट्टा प्रभार” – ₹3521.02 लाख का अधिक व्यय (₹16300.79 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) Major Head “2216” - “General Pool Accommodation” -

- (a) “Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure” - excess of ₹1641.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37121.00 lakhs); and
- (b) “Other Expenditure - Buildings-Lease Charges” - excess of ₹3521.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16300.79 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सामान्य पूल कार्यालय आवास और रिहायशी आवास भवनों के रखरखाव कार्य/पट्टा प्रभार के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above four heads was due to requirement of additional funds towards maintenance work/lease charges of General Pool Office Accommodation and Residential Accommodation buildings.

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों” –

(क) “केन्द्रीय सहायता/शेयर” –

- (i) “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹413747.45 लाख का अधिक व्यय (₹341730.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹368470.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान

(C) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” -

(a) “Central Assistance/Share” -

- (i) “Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)” - excess of ₹413747.45 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹368470.00 lakhs including

- की तुलना में); और
- supplementary grant of ₹341730.00 lakhs);
- (ii) “राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)” – ₹9446.60 लाख का अधिक व्यय (₹49246.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (ii) “National Urban Livelihoods Mission (NULM)” - excess of ₹9446.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹49246.00 lakhs);
- (iii) “पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजना (एनईआरयूडीपी)” – ₹10442.22 लाख का अधिक व्यय (₹2.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (iii) “North Eastern Region Urban Development Project (NERUDP) - excess of ₹10442.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2.00 lakhs);
- (ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –
- (b) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (i) “शहरी आवास – अन्य अनुदान” – ₹6744.38 लाख का अधिक व्यय (₹102730.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹163201.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (i) “Urban Housing - Other Grants”- excess of ₹6744.38 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹163201.00 lakhs including supplementary grant of ₹102730.00 lakhs);
- (ii) “राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)” – ₹2917.67 लाख का अधिक व्यय (₹15177.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (ii) “National Urban Livelihoods Mission (NULM)” - excess of ₹2917.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15177.00 lakhs);
- (ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –
- (c) “Tribal Area Sub-Plan” -
- (i) “शहरी आवास – अन्य अनुदान” – ₹1287.82 लाख का अधिक व्यय (₹20540.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹32001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और
- (i) “Urban Housing - Other Grants”- excess of ₹1287.82 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹32001.00 lakhs including supplementary grant of ₹20540.00 lakhs); and
- (ii) “राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)” – ₹554.74 लाख का अधिक व्यय (₹2902.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।
- (ii) “National Urban Livelihoods Mission (NULM)” - excess of ₹554.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2902.00 lakhs).

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिविकम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above seven heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(घा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” –

(D) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes” -

(क) “केन्द्रीय सहायता/शेयर” –

(a) “Central Assistance/Share” -

(i) “100 स्मार्ट सिटी के लिए मिशन” – ₹14398.00 लाख का अधिक व्यय (₹9802.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू, श्रीनगर, नई दिल्ली नगर निगम और पुदुचेरी के विशेष प्रयोजन वाहन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(i) “Mission for 100 Smart Cities” - excess of ₹14398.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9802.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards release of funds to Jammu, Srinagar, New Delhi Municipal Corporation and Special Purpose Vehicle (SPV) of Puducherry.

(ii) “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹9677.41 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ii) “Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)” - excess of ₹9677.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs); and

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹1546.40 लाख का अधिक व्यय (₹250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes-Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)” - excess of ₹1546.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs).

अधिक व्यय उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत क्रेडिट लिंक सहायिकी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards administrative expenses under Credit Link Subsidy Scheme (CLSS).

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:—

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत—
			Total grant or appropriation	Actual expenditure	Saving -
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	4232.00	2339.58	2311.65	-27.93
पु.	R.	-1892.42			

(I) "सरकारी आवासीय भवन - अन्य आवास - राष्ट्रपति सम्पदा" के अंतर्गत ₹ 1883.29 लाख की बचत (₹ 4032.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से व्यय पर प्रतिबंध लगाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Government Residential Buildings - Other Housing - President's Estates" - saving of ₹1883.29 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹ 4032.00 lakhs) was due to restriction on expenditure owing to COVID-19 and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "4058"	Major Head "4058"				
लेखन-सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Stationery and Printing				
मू.	O.	9000.00
पु.	R.	-9000.00			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	71220.00	100142.00	100042.72	-99.28
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	28920.00			

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	50300.00			
पू.	S.	1.00	54451.00	54408.06	-42.94
पु.	R.	4150.00			
मुख्य शीर्ष "4217"	Major Head "4217"				
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	341600.00			
			172085.00	172085.00	..
पु.	R.	-169515.00			
मुख्य शीर्ष "6217"	Major Head "6217"				
शहरी विकास के लिए कर्ज	Loans for Urban Development				
मू.	O.	1635500.00			
			699174.00	699174.00	..
पु.	R.	-936326.00			

(I) ₹9000.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4058" - "सरकारी प्रेस - मुद्रण प्रेस" के अंतर्गत कोविड-19 दिशानिर्देशों की वजह से व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने, कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹9000.00 lakhs remained wholly unutilized under Major Head "4058" - "Government Presses - Printing Presses" - due to restriction of expenditure owing to COVID 19 guidelines, less demand from implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - निर्माण-भवन" - ₹2990.76 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹47101.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू

(II) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Buildings" - saving of ₹2990.76 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹47101.00 lakhs including token supplementary

निर्माण कार्यों की धीमी गति होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “4217” – “अन्य शहरी विकास स्कीमें – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश” – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं” – ₹163515.00 लाख की बचत (₹325600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 दिशानिर्देशों की वजह से व्यय पर प्रतिबंध होने, कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) “हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज़ इंडिया लिमिटेड” – ₹6000.00 लाख की बचत (₹16000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 दिशानिर्देशों की वजह से व्यय पर प्रतिबंध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “6217” – “अन्य शहरी विकास स्कीमें-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण – एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं” – ₹936326.00 लाख की बचत (₹1422600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग होने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹312.23 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 60 प्रतिशत थीं।

6. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹36160.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि सितम्बर, 2020 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(I) मुख्य शीर्ष “4059” – “सामान्य – निर्माण – अन्य मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय भवन” – ₹32260.00 लाख।

grant ₹1.000 lakh obtained in February, 2021) was due to slow pace of ongoing works.

(III) Under Major Head “4217” - “Other Urban Development Schemes - Investments in Public Sector and Other Undertakings” - savings occurred under the following heads:-

(A) “MRTS and Metro Projects” - saving of ₹163515.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹325600.00 lakhs) was due to restriction of expenditure owing to COVID-19 guidelines, less demand from implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Hemisphere Properties India Limited (HPIL)” - saving of ₹6000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16000.00 lakhs) was due to restriction on expenditure owing to COVID-19 guidelines and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under Major Head “6217” - “Other Urban Development Schemes-Loans to Public Sector and Other Undertakings - MRTS and Metro Projects” - saving of ₹936326.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1422600.00 lakhs) was due to less demand from implementing agencies.

(V) Under one head saving of ₹312.23 lakhs occurred constituting 60 percent of the sanctioned provision.

6. The above savings were partly (₹36160.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in September, 2020 under the following major heads:-

(I) Major Head “4059” - “General - Construction - Office Building of Other

वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹32225.35 लाख था।

(II) मुख्य शीर्ष “4216” – “सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवास – आवास” – ₹3900.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3875.52 लाख था।

7. सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभाग की मूल्यहास आरक्षित निधि:-

सरकार की मूल्यहास आरक्षित निधि (गैर-वाणिज्यिक विभाग) का गठन संयंत्र, मशीनरी और फर्नीचर के नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित लागत को पूरा करने के उद्देश्य से आरक्षित पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक पद्धति को शुरू करने के लिए किया गया था ताकि मुद्रणालय को स्वतः कुशल कार्यस्थिति में रखा जा सके। मूल्यहास की गणना मुद्रणालय के कार्य मात्रा उत्पादन में उपयोग हो चुकी परिसंपत्तियों के मूल्य पर की जाती है। तदनुसार, निधि में इतनी धनराशि होगी जो सामान्य टूट-फूट पर खर्च होने वाली पूंजी की तुलना में पर्याप्त होगी। निधि को सरकारी लेखों में जमा के रूप में माना जाएगा और निधि को देय प्राप्तियों को वर्ष के दौरान ज्ञात की गई मूल्यहास की वास्तविक राशि के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों की समाप्ति से ठीक पहले जमा कर देना होगा। बचत प्रावधान विभाग की सूचना के आधार पर किया जाता है।

सरकारी मुद्रणालयों में मूल्यहास निधि की नियमावली के नियम 4 के अनुसार समय-समय पर उपलब्ध शेष राशि पर ब्याज को निधि में इसलिए जमा नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकारी मुद्रणालयों में लागत प्रणाली में ब्याज की गणना मूल पूंजीगत मूल्य पर नहीं बल्कि हासित पूंजीगत मूल्य पर ही की जाती है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के नियम 6 के अनुसार निधि से व्यय शुरू में ही उपयुक्त विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाना चाहिए और वर्ष के अंत में उतनी ही राशि जमा लेखा मूल्यहास निधि से विस्तृत शीर्ष को अंतरित की जाएगी।

Ministries/Departments” - ₹32260.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹32225.35 lakhs.

(II) Major Head “4216” - “Government Residential Buildings - Other Housing - Housing” - ₹3900.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3875.52 lakhs.

7. Depreciation Reserve Fund of Government Non-commercial department:-

Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) was constituted for introducing the commercial practice to provide a reserve sufficient fund to meet the required cost for renewal and replacement of plant, machinery and furniture so that the Press may be kept automatically in an efficient working condition. Depreciation is calculated on the value of assets which had been used in producing the outturn of the Press. The Fund will accordingly contain an amount of money sufficient to replace the capital consumed by normal wear and tear. The Fund shall be treated as a deposit in the Government accounts and receipts due to the Fund shall be credited immediately prior to the closing of the accounts of each financial year on the basis of the actual amount of depreciation worked out during the year. Budget provision is made on the basis of intimation from the Department.

As per Rule 4 of Rules for the Depreciation Fund in Government Presses, interest on the balances in hand from time to time will not be credited to the fund owing to the fact that the costing system in Government Presses includes a calculation of interest, not on the original capital value, but on the depreciated capital value only. Further as per Rule 6 of the said Rules, Expenditure from the Fund must be accounted for in the first instance under the appropriate detailed head and at the end of the year an equivalent sum will be transferred from the Deposit Head Depreciation Fund to the detailed head.

वर्ष 2020-2021 के लिए सरकार की मूल्यहास
आरक्षित निधि (गैर-वाणिज्यिक विभाग) का लेखा इस प्रकार
था:-

*The Account of Depreciation Reserve Fund
of Government (Non-commercial department) for
2020- 2021 was as follows:-*

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष	Opening Balance	43,24,82
प्राप्तियां	Receipt	4,01,40
अदायगियां	Payments	शून्य NIL
अंतशेष	Closing Balance	47,26,22
